

२४/४/२२

पत्रावली पेश हुनी। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
बार-बार आवाज लगावानी गयी। अखिल लगावने
के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर ले कोई उपस्थित
नहीं आया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदालत
हाजरी अदालत पैरवी में खाटील किया जाता है।
पत्रावली जैनल शुभम् होकर नाम्बर से मध्य
होकर वपुर्दा दाखिल है।



(बृजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

अकाथाना (सीकर)

